न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 3/2019 प्रार्थनापत्र

श्रीमति सायरी पत्नि श्री दूदा गुर्जर आयु वयस्क निवासी–गोरख्या तहसील जिला भीलवाड़ा (राज0) ———प्रार्थीया।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——— विपक्षी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

1.श्री विनोद कुमार तिवाड़ी, मनोहरलाल सेन ——अधिवक्ता प्रार्थीया।

2.पेरोकार सरकार ———अधिवक्ता विपक्षी।

:: **निर्णय** :: दिनांक–09/03/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गोरख्या पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 4554/1634 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित थी, जो रामस्वरूप जी महाजन की आवटनशुदा थी। प्रार्थीया ने आ0नं0 4554/1634 रकबा 05 बीघा भूमि रामस्वरूप जी महाजन से सप्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र के कय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की। वक्त कय से ही उक्त कयशुदा आराजी पर प्रार्थीया काबिज हो निरन्तर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है किन्तु राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने भूल व गलती से उक्त वादग्रस्त आराजी की गलत तरमीम कर राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे अनुसार भूमि राजस्व नक्शे में फिट न कर मन मकसूद तौर पर डेढ बीघा भूमि राजस्व नक्शें में कम फिट की गई एवं प्रार्थीया की डेढ बीघा भूमि को राजस्व अधिकारियो [illegible] कर्मचारियों ने गलत तौर से अन्य व्यक्तियों को आंवटित भूमि के रकबे में दर्ज कर ज्यादा भूमि [illegible] कर दी गई। राजस्व कर्मियों ने आवंटितशुदा भूमि को राजस्व नक्शे में 05 बीघा [illegible] की भूल व त्रुटि की है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 11:22:59 IST
Reason: SelfAttested